ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 10, Issue 12, December 2020 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारत में **वृद्धजनों की सामाजिक समस्यायें**

डॉ0 दयाषंकर सिंह यादव
सहायक प्रोफेसर समाजषास्त्र
सकलडीहा (पी0जी0) कालेज सकलडीहा

देश में कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत वृद्धों का है। यदि क्षेत्रीय भिन्नता का आंकलन किया जाय तो इस आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार 4.8 प्रतिशत वृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 5.2 प्रतिशत वृद्ध नगरीय क्षेत्रों में थे। 2011 की ही जनगणना के अनुसार वृद्ध महिलाओं की अपेक्षा वृद्ध पुरूष शहरों में ज्यादा रहते हैं। जबकि गांवों में स्त्रियों की संख्या अधिक है। इसी प्रकार वृद्ध महिलाओं में विधवाओं की संख्या तीन गुनी पायी गयी जबकि विधुरों की संख्या बहुत कम थी।वर्तमान वृद्धों की संख्या साढ़े सात करोड़ है जिसमें से डेढ़ करोड़ वृद्ध ही ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध ऐसे परिवारों से है जो अपने परिवार में वृद्धों को सम्मानपूर्वक रखते होंगे। उनकी सुख–सुविधाओं एवं चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था करते होंगे। बाकी के छः करोड़ वृद्ध बहुत कष्टप्रद जीवन जीते हैं। इसमें प्रबुद्ध वृद्धों की संख्या पूरे देश में 3 करोड़ से कम नहीं है। प्रबुद्ध वृद्ध स्वभाव से ही स्वाभिमानी होते हैं, अतः वृद्धावस्था में वे और समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं।

भारत में किये गये सर्वेक्षणें से यह विदित होता है कि सन् 1951 से 1991 के बीच जन्मदर में तीव्र गति से वृद्धि हुई है जबकि मृत्युदर में अप्रत्याशित रूप से कमी आयी है। मृत्युदर 27.4 प्रति हजार से गिरकर 10 प्रति हजार पर रह गयी है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में वृद्ध पुरूषों एवं महिलाओं की संख्या में अकथनीय वृद्धि हुई है। अकेले दिल्ली में 1981 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 4.5 प्रतिशत भाग वृद्धों का ही था। इस समय भारत में वृद्धों की आबादी जर्मनी की वर्तमान कुल जनसंख्या के बराबर तथा अधिकांश यूरोपीय देशों की जनसंख्या की दुगुनी हो चुकी है। भारत में वृद्धों की संख्या की वृद्धि दर पिछले दशक में 38 प्रतिशत से थोड़ी ऊपर थी जबकि शेष जनसंख्या की वृद्धि दर मात्र 19 प्रतिशत थी। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारत दिनों–दिन बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। इसका कारण है कि लोग स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक हो गये हैं[1] ।

दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ वृद्ध न पाये जाते हों। 'डब्ल्यू0एच0ओ0' की एक अध्ययन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यूरोप सबसे बड़ा 'बूढ़ा' महाद्वीप है तथा स्वीडन सबसे 'बूढ़ा देश' है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप की कुल आबादी के 13.7 प्रतिशत वृद्ध 65 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं जबकि एशिया में इस समय इस उम्र को पार करने वालों का प्रतिशत सिर्फ 4.8 है। भारत में आजादी के समय व्यक्ति की औसत आयु सिर्फ 32 वर्ष थी [2] जबकि आज से 10 वर्ष पूर्व यह 54 वर्ष थी जो आज बढ़कर 67 वर्ष पर पहुँच चुकी है।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग के जनसंख्या ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति इस समय जितनी संख्या में मौजूद हैं, उतने कभी नहीं रहे। यह वृद्धि पिछले 80 वर्षों में हुई है। ऐसी सम्भावना है कि सन् 2010 तक हर माह 10 लाख से अधिक व्यक्ति वृद्धों की संख्या में शामिल होने लगेंगे। वृद्धों की 62 प्रतिशत वृद्धि विकासशील देशों में हो रही है जो कि अपने देश के विकास हेतु दिन–रात संघर्षरत हैं। वृद्धों की संख्या में वृद्धि के प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् औसत जन्म

दर का बढ़ना, जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण, जच्चा–बच्चा मृत्युदर में कमी, जन्मदर में वृद्धि, भोजन में पोषक तत्वों में वृद्धि एवं चिकित्सा जगत में अभूतपूर्व प्रगति का होना है। भारत में इस समय औसत आयु 62 वर्ष से अधिक है जबकि केवल 10 वर्ष पूर्व यही आयु 54 वर्ष थी तथा 1947 में 30 वर्ष से कुछ अधिक थी। 'जे0एन0यू0' के सामाजिक विज्ञान संकाय के प्रोफेसर टी0के0 ऊमन का कहना है कि ''पहले 60 साल की उम्र में जीवन का अंत आ जाता था, अब इसे 20 वर्ष तक और ढ़ोना पड़ रहा है।''

अमेरिका में आज बढ़कर 75 वर्ष तक पहुँच गयी है। विकसित देशों की स्थिति काफी संभली हुई है। औसत आयु के मामले में जापान सबसे आगे है, वहाँ व्यक्ति की औसत आयु 79 वर्ष है। एक तथ्य यह है कि प्रायः सभी देशों में वृद्ध महिलाओं की संख्या वृद्ध पुरूषों से अधिक है अर्थात् नाना, दादा की तुलना में नानी एवं दादियाँ इस दुनिया में ज्यादा हैं।वृद्ध होना कोई अभिशाप नहीं है परन्तु समस्या तब उत्पन्न होती है जब नयी पीढ़ी के लोग पुरानी पीढ़ी या वृद्ध वर्ग को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। वृद्ध–महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन जरा विज्ञानियों द्वारा किया जा रहा है। उनका मानना है कि देश के सामाजिक परिवेश में द्रुतगति से परिवर्तन हो रहा है जिसके परिणामैस्वरूप वृद्ध महिलाओं का जीवन तमाम विसंगतियों एवं समस्याओं से घरता चला आ रहा है। क्योंकि उनके प्रति वर्षों से चला आ रहा आदर–भाव लुप्त हो गया है। पहले जहाँ लम्बी आयु का आशीर्वाद वरदान माना जाता था अब वही आशीर्वाद इन महिलाओं के लिए अभिशाप बनकर रह गया है। वे अपने जीवन के हर मोड़ पर इतना संकट झेल रही है कि हर क्षण भगवान से मौत की प्रार्थना कर रही हैं। परिवार में वे एक व्यर्थ सामान की तरह पड़ी रहती हैं जिसकी याद उनके स्वजनों को तभी आती है जब उनको उस सामान की जरूरत पड़ती है। इस उम्र में वृद्ध महिलाओं को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

बदलते हुए सामाजिक परिवेश ने पूरी तरह हमारी सामाजिक मान्यताओं को झकझोर कर रख दिया है। आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि उन्हें अब परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की आवश्यकता नहीं रह गयी है। अब नये अनुभव, नयी जरूरतें एवं नवीनतम ज्ञान काम दे रहे हैं, लेकिन कुछ तर्क देकर इस तर्क को खारिज किया जा सकता है कि परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य परिवार के मुखिया होते हैं और वे पूरे परिवार की जरूरतों को, उत्तरदायित्वों एवं भविष्य की योजनाओं को खूब सोच–समझ कर निर्मित करते हैं। परिवार की बुजुर्ग महिला किसी भी जन्म, मृत्यु, शादी–विवाह, तिलक, सुख–दुःख में परिवार की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। इसमें उसके पुराने अनुभव काम आते हैं। परिवार में कौन काम किस तरह होना चाहिए और कौन काम किस तरह नहीं होना चाहिए इसका निर्णय वे स्वयं करती हैं। एक तरह से वे परिवार के लिए शासक का काम करती हैं। धार्मिक कार्यों में भी किसी पूजा–पाठ में अपना पूरा योगदान करती हैं। उनके जीवन में अनेक उतार–चढ़ाव आये होते हैं और वे युवा सदस्यों की अपेक्षा अधिक अनुभवी होती हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर भावी पीढ़ी को निर्देशित करती हैं।

बुजुर्ग दादा–दादी, नाना–नानी अपने नाती–पोतों को कहानियाँ सुनाते हैं, नैतिक–धार्मिक बातें बताते हैं तथा उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता के कारण यह मनोरंजन की स्थली है। वयोवृद्ध सदस्य बच्चों की देखभाल में सहयोग प्रदान करते हैं तथा उनके समाजीकरण एवं प्रशिक्षण में सहयोग देते हैं। ये चीज एकाकी परिवारों में नहीं मिलती जहाँ पति–पत्नी दोनों नौकरीशुदा होते हैं। सम्पत्ति–धन कैसे खर्च करें, कैसे बचत करें एवं विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार परिवार को सहारा दें यह वृद्ध सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। बुजुर्ग सदस्यों के कारण सम्पत्ति या जायदाद का विभाजन नहीं हो पाता, वे ऐसा अवसर ही नहीं आने देते। अतः उनकी वजह से

हमारी सम्पत्ति सुरक्षित रहती है। वृद्ध सदस्य बाकी सदस्यों का श्रम–विभाजन कर देते हैं। अतः श्रम बर्बाद नहीं होता और परिवार संघर्ष से बचा रहता है। परिवार विधवाओं एवं वृद्धों की शरणस्थली है। अतः उनकी भी सुरक्षा हो जाती है। परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्या के द्वारा परिवार हमेशा नियंत्रण एवं अनुशान में रहता है जबकि एकाकी परिवारों में इसका अभाव पाया जाता है। अतः वृद्ध सदस्य हमारे परिवार, हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। परन्तु आज की भौतिकतावादी एवं स्वार्थी प्रवृत्ति ने वृद्ध महिलाओं को बहुत निराश एवं हताश किया है। वे अपने ही परिवार में बोझ बनकर रह गयी हैं।

समय एवं स्थान की कमी ने युवा वर्ग एवं वृद्ध वर्ग की दूरी को बहुत बढ़ा दिया है। वृद्ध अब अपने को बहुत उपेक्षित महसूस करने लगे हैं। नौकरी, शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए उनके बेटे नगरों, महानगरों एवं विदेशों में पलायन करते जा रहे हैं। इस पलायनवादिता ने वृद्धो महिलाओं, बुजुर्ग सदस्यों के अकेलेपन को बढ़ाने में महती भूमिका निभायी है। समाज में बुजुर्ग को जो सम्मान पहले मिलता था, वह अब नहीं मिलता। इसका कारण है कि युवा संतानें सम्पत्ति पर अधिकार मिलते ही बुजुर्गों से अपना नाता तोड़ लेती हैं। सारा अधिकार उनके हाथों में आ जाता है। परिवार के हर सही–गलत का निर्णय वे ही करने लगते हैं। यहाँ तक कि बुजुर्ग सदस्य कैसे रहेगा, क्या काम करेगा इत्यादि का निर्णय भी वहीं करने लगते हैं। ऐसे में वृद्ध सदस्यों का उपेक्षित होना, निराश होना एवं हीनता महसूस करना स्वाभाविक है।

आज किसी वृद्ध को इस उम्र में जीविकापार्जन के लिए दुनिया में भटकते हुए देखते हैं तो मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या हम सचमुच आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे हो गये हैं कि बुढ़ापे में अपने ही माँ–बाप को सहारा देने एवं उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ हो गये हैं। क्या हम अपने लोकाचारों, परम्पराओं एवं शिष्टाचार को भूल गये हैं? क्या हममें इतनी शक्ति नहीं कि बूढ़े माँ–बाप को सम्मानपूर्वक जीवित रख सकें एवं इस बात का लिहाज करें कि आज हम जो कुछ भी हैं, इन्हीं माता–पिता के कारण हैं। सफेद बाल, अनगिनत चिन्ताओं की वजह से सिकुड़ा हुआ माथा, शून्य में भटकती निस्तेज आँखें, दंतविहीन मुँह, झुर्रियों वाला चेहरा, यही तो है वृद्धावस्था की परिभाषा।

भारत में वृद्ध स्त्री–पुरूष, देवतुल्य हैं। बेटे–बेटियों, बहुओं, नाती–पोतों से भरे–पूरे परिवार में अपने लिए एक आत्मीय की तलाश में भटकती यह अवस्था किसी अभिशाप से कम नहीं है। यह वह राष्ट्र है जहाँ 'मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः' के विचार का जन्म हुआ। यहाँ देवत्व प्रधान विचार जन्मा ही नहीं बल्कि भारतीय समाज की संरचना का निर्माण भी इसी आधार पर हुआ। भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था में वृद्ध व्यक्ति का जो मान–सम्मान है वह किसी को छिपा नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि जब से पश्चिमी संस्कृति का भारतीय संस्कृति से मिलन हुआ है तब से एक–एक करके भारतीयों ने अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का परित्याग करना प्रारम्भ कर दिया। इसी के दुष्परिणामस्वरूप आज भारत में वृद्धों की दशा अत्यन्त दयनीय है। इस राष्ट्र में अधिकांश वृद्ध माता–पिता कैसे अपना दिन काटते हैं और उनकी पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति क्या है इस पर अभी तक गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें भी इस मामले में सक्रिय हैं, लेकिन दुःख इस बात का है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए जैसा समन्वित राष्ट्रीय कार्यक्रम इस देश के पास होना चाहिए वह नहीं ळें[3]

बुजुर्गों के सम्मान की रक्षा के लिए देश के पास न कोई सही कानून है, न सही नियम है और न ही सामाजिक जागरूकता। आज वृद्धावस्था में पहुँचते ही आम तौर पर माता–पिता की स्थिति अत्यन्त दुखदायी हो जाती है। पश्चिम की तरह हमने भी वृद्धों के लिए आश्रम–निर्माण करने की योजना बना ली

है। प्रश्न यह है कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जायेगा? पहली बात यह है कि समस्या की विकरालता की ओर अभी तक देखा ही नहीं गया है।भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2000 में जो अन्नपूर्णा योजना शुरू की है।[4] उसके अन्तर्गत वृद्ध और असहाय व्यक्तियों को दस किग्रा0 अनाज बिना कोई कीमत चुकाये उपलब्ध कराया जाता है तथा इससे लगभग पौने सात लाख लोगों को लाभ मिलने की आशा हैभारत सरकार के पास कम से कम यह जानकारी तो होनी ही चाहिए कि वृद्धाश्रमों में कितने व्यक्ति रह रहे हैं और इन आश्रमों की स्थिति क्या है? यह दुःख की बात है कि हमारे देश में वृद्धाश्रमों के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वह कुल मिलाकर दिखावा ही है। ऐसा नहीं कि सारे वृद्धाश्रमों की स्थिति दुर्दशाग्रस्त है। कुछ अच्छे वृद्धाश्रम भी हैं लेकिन वे धार्मिक संस्थाओं द्वारा ही संचालित हैं। सरकारी वृद्धाश्रमों की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। अगर भारत के वृद्धाश्रमों की तुलना अमेरिका या ब्रिटेन के वृद्धाश्रमों से की जाय तो लगेगा कि वृद्ध भारतीय समाज पर बोझ है।

वृद्धावासों की व्यवस्था को पश्चिम जर्मनी में देखा जाय तो वृद्धों ने अपनी कुछ ऐसी संस्थायें बना रखी हैं जो उनके वृद्धावासों को चलाती है तथा जिन्हें पैसा भी खुद देते हैं।यह वृद्धों का, वृद्धों के लिए संगठन है।[5] ग्रे इसलिए कि उनके बाल अब स्लेटी हो गये हैं तथा पैंथर इसलिए कि वे मानते हैं कि अब भी उनमें चीते सी फुर्ती है। लगभग सभी अवकाश प्राप्त या रिटायर होने वाले व्यक्ति इस संगठन के सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम में तो रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए सरकार द्वारा अलग से मंत्रालय बनाया गया है।[6] विदेशों के वृद्धाश्रमों में वे सारी सुविधायें मुहैया करा दी जाती हैं जिनसे वे अपना समय आराम से बिता सकें। उन्हें वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता तथा उन्हें सफाई एवं चिकित्सा की पूरी देखभाल मिलती है। समय बिताने के लिए वे पुस्तकालयों में पुस्तकें पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं तथा टी0वी0 देख सकते हैं। सुबह–शाम को वे नाश्ते–चाय के बाद शहर में टहलने एवं कुछ खरीदने या मित्रों से मिलने निकल जाते हैं।

समाज का सुलूक बूढ़ों के साथ लगातार हिंसक होता जा रहा है। परिवार में अपमानित–उपेक्षित वृद्धों को बाहर भी तू–तड़ाक, धक्कों–मुक्कों का सामना करना पड़ता है। अमरीकी समाजशास्त्रियों, कार्ल पिलेमर और डेविड फिंकेलहार ने बदसलूकी की 3 स्थितियाँ बतायी हैं– अवहेलना (निगलेक्ट), गाली–गलौज अथवा शाब्दिक अपमान (बर्बल एब्यूज) और मार–पिटायी (फिजीकल एब्यूज)। न्यूहेम्पशायर विश्वविद्यालय की परिवार अनुसंधान प्रयोगशाला के इन विद्वानों ने अमरीका में किये गये एक सर्वेक्षण में यह पाया कि 65 प्रतिशत वृद्धों को धक्का–मुक्की, छीना–झपटी से लेकर थप्पड़ तक का शारीरिक अपमान सहना पड़ता है। दिनभर बात–बात पर बूढ़ों को कोसते रहना या पानी पिलाने जैसी बात को भी अनसुना कर देना, उठाकर घर से बाहर फेंक देने की धमकी देना आदि की घटनायें अमेरिका में ही नहीं, ''बड़ों का आदर करो'' की शिक्षा देने वाले समृद्ध सांस्कृतिक देश भारत में भी रोज–रोज बढ़ती जा रही हैं।निर्धन वर्ग में तो वृद्धों की दशा और भी दयनीय है। असंगठित वर्ग के इन लोगों को रिटायर होने की कोई उम्र नहीं होती। रेलवे कुलियों, रिक्शा–ठेला खींचने वालों, पत्थर तोड़ने वालों, मजदूरी करने वालों तथा स्कूलों के बाहर टाफी, लाल–हरी गोलियाँ, इमली–बेर–मूँगफली बेचने वालों में साठ की उम्र से ज्यादा वाले लोग बहुतेरे पश्चिमी देशों की नकल करने से वृद्धों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। वाराणसी में दुर्गाकुण्ड स्थित वृद्धाश्रम, मातेश्वरी धाम, रामकृष्ण मिशन दीन हित्, सत्गामि सदन, भजनाश्रम आदि आश्रम, विधवा एवं वृद्ध महिलाओं के भरण–पोषण हेतु प्रयासरत हैं।[7]

व्यापार, पूँजी–विदेश, फैशन, प्रतियोगिताओं, महिलाओं, बच्चों तथा युवाओं के लिए तो बाजार

पत्रिकाओं से पटा पड़ा है लेकिन वृद्धों के लिए पत्रिका निकालने का विचार अभी तक किसी को नहीं सूझा। वृद्धावस्था में कुछ समस्यायें तो ऐसी हैं जिन्हें बूढ़े व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक तौर पर स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं। कुछ ऐसी हैं, जो युवा पीढ़ी द्वारा चाहे–अनचाहे पैदा हो जाती हैं।[8] ये समस्यायें चाहे जिस रूप में सामने आई हों, किन्तु अपना अस्तित्व रखती हैं और वृद्धों को इससे अपनी अन्तिम साँस तक जूझना पड़ता है।

भारतीय समाज में वृद्ध महिलाओं में भी उन महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है जो कि विधवा हैं। विधवा महिलाओं को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है, उन्हें समाज में तरह–तरह के कटु कटाक्षों से अपमानित होना पड़ता रहा है तथा उन्हें अपशगुन माना जाता रहा है। यदि किसी शुभ काम में वे आगे पड़ जातीं तो यही कहा जाता था कि अब काम सफल नहीं होगा। जिस पति की वे विधवा होती थी उस परिवार में भी उन्हें बहुत नारकीय जीवन जीना पड़ता था। उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से उन्हें बहुत यातना दी जाती थी। धीरे–धीरे समय के साथ विधवाओं की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ तथा सुधार हुआ। अब संवैधानिक सुविधाओं के तहत वे पुनर्विवाह कर सकती हैं, नौकरी कर सकती है तथा उनको जीने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन जो महिलायें विधवा होने के साथ ही साथ वृद्ध भी हैं उनकी दशा वास्तव में दयनीय हैं वे तमाम समस्याओं की शिकार हैं तथा अपनी जिन्दगी में संघर्ष करती दिखायी पड़ती हैं। यथा– बीमारियों से ग्रस्त होना, परिवार में उचित सम्मान न मिलना, बहू बेटों की कड़वी बातें सहना, अपमानित होना, मानसिक एवं शारीरिक यातना की शिकार होना इत्यादि।

समाज में, यह परिवर्तन जितना परिवार में दिखाई देता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। परिवार, विवाह, जाति जैसी अवधारणाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि समाज में चतुर्दिक परिवर्तन हो रहा है। परिवार के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग सदस्य हमेशा ही परिवार को जोड़ने में विश्वास रखते हैं एवं कठिनतम समस्या का आसानी से समाधान ढूँढ़ लेते हैं। आज के युवा पीढ़ी की तरह नहीं कि जरा समस्या आने पर उत्तेजित हो जायँ एवं मारपीट पर उतारू हो जायँ। आज बुजुर्गों एवं युवा पीढ़ी के रास्ते बिल्कुल अलग–अलग हो गये हैं। युवा औपचारिकतावश भले ही थोड़ी देर के लिए परिवार के वृद्ध सदस्यों के पास बैठ लें लेकिन वे उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व से पूरी तरह विमुक्त हो चुके हैं। वे परिवार के बुजुर्ग सदस्य को अकेलेपन से जूझने के लिए छोड़ देते हैं।

बुजुर्ग सदस्य पारिवारिक पृष्ठभूमि में कभी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इस विशाल संसार में व्यक्ति अपना एक भरा–पूरा परिवार पाकर अपने को धन्य समझता था। इससे न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। संयुक्त परिवार एक वट वृक्ष है जिसकी छाया तले हम सभी सुरक्षित हैं– बड़े–बूढ़े, बच्चे, विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, विकलांग आदि। तलाकशुदा या विधवा–विधुर के लिए अकेले अपने बच्चों को पालना कितना कठिन है, यह तो कोई भुक्तभोगी ही जानता है। फिर उन बच्चों के अपनी जिंदगी में व्यवस्थित हो जाने पर अकेले जीवन काटना और भी मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसे हालात भी आते हैं कि माँ–बाप गुजर जाते हैं और तन्हा रह जाते हैं ये छोटे–छोटे बच्चे। एकल परिवार में बुढ़ापा तो और कठिन है। बीमारी है या कहीं बाहर जाना है तो बच्चों को कहाँ छोड़ें? स्थिति वहाँ और कठिन हो जाती है जबकि महिलायें कहीं काम या नौकरी करती हों। ये सभी समस्यायें संयुक्त परिवार में आसानी से हल हो जाती हैं। आजकल क्रैच का फैशन निकला हुआ है

भारत में यह समस्या नयी है इसलिए विकराल नजर आ रही है। 1982 में वियना में बुजुर्गों के

विश्व सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि भारत को बुजुर्गों की बढ़ती हुई संख्या पर चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वृद्धों की संख्या बढ़ने के भी कुछ कारण हैं। भारत में वृद्धों की एक अच्छी खासी आबादी जमा हो गयी है लेकिन विदेशों में यह सामान्य बात है। वहाँ की सरकारें बुजुर्गों को राज्य सुरक्षा के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण प्रदान करती हैं, किन्तु भारत में इस प्रकार का नगण्य संरक्षण प्रदान किया जाता है। थोड़ी बहुत सुविधा प्रदान की जाती है जो वृद्धों की जरूरतों हेतु अपर्याप्त है। पश्चिमी समाजों की तर्ज पर भारत में भी वृद्धाश्रमों का निर्माण किया गया है लेकिन यह उनकी समस्या का सर्वोत्तम हल नहीं है।''90 प्रतिशत वृद्ध असंगठित क्षेत्र के हैं । उनकी आमदनी का कोई नियमित जरिया नहीं है यानी उन्हें प्रोविडेंट फण्ड, ग्रेच्युटी, चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। करीब 80 प्रतिशत बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और सेहत की देखभाल तथा इसी तरह की अन्य सुविधायें उनके लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। वृद्धावस्था का असर परिवार तथा व्यक्तियों पर पड़ता है जबकि व्यापक स्तर पर समूचा राष्ट्र इससे प्रभावित होता है।

भारत में वृद्धावस्था में गरीबी की समस्या के समाधान के लिए अगर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे और यह सुनिश्चित नहीं किया जायेगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुविधायें उचित स्तर की हैं तो यह समस्या एक स्थायी समस्या बन जायेगी। भारत में बुजुर्ग महिलाओं को तीन प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है– पहला पितृसत्तात्मक समाज में वे महिला हैं, दूसरा आर्थिक दृष्टि से पराश्रित एवं बुजुर्ग हैं, तीसरा यदि वे विधवा हैं तो यह दुनिया उनके रहने लायक नहीं है।भारत के संविधान में बुजुर्गों के कल्याण की व्यवस्था की गयी है। अनु0 41 में राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य वृद्धों के कल्याण की व्यवस्था करेगा। आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े बेटे/बेटियों से अपने माता–पिता को भरण–पोषण के लिए धन देने की बात कही गयी है। परन्तु अब तक जो कल्याण योजनायें लागू की गयी हैं उनमें बुजुर्गों की ओर सबसे कम ध्यान दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (कल्याण मंत्रालय) देश में वृद्धों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है। नीति के तहत सरकारी हस्तक्षेप के अनेक क्षेत्रों, जैसे– वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार, आवास, शिक्षा, अनुसंधान कल्याण, जान–माल की रक्षा एवं जनसंचार माध्यमों की भूमिका की पहचान की गयी है।

संदर्भित–ग्रंथ

1. राष्ट्रीय सहारा, वाराणसी संस्करण, 9 नवम्बर 2000, पृष्ठ–3.
2. अमर उजाला, वाराणसी संस्करण, 9 नवम्बर 2000, पृष्ठ–4.
3. दैनिक जागरण, वाराणसी संस्करण, 26 नवम्बर 2000, पृष्ठ–8.
4. हेल्प एज इण्डियाःसीनियर सिटिजेन गाइड, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली, 2000, पृष्ठ–4.
5. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नई दिल्ली, 16 जुलाई 1989, पृष्ठ–26.
6. आर0सी0 श्रीवास्तव :''द प्राब्लम ऑफ द ओल्ड एज'', क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ–15.
7. हिन्दुस्तान, वाराणसी संस्करण, 24 जनवरी 2002, पृष्ठ–3.
8. गिरिराजशरणः''वृद्धावस्था की कहानियाँ'' प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली,1996, पृष्ठ–6.